न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

(66)

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : निगरानी – 5029/ 2018/जबलपुर/ भू0राज0 – विरूद्व – आदेश दिनांक 24–7–2018 पारित व्दारा – अपर आयुक्त , जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण कमांक 947/2017–18 अपील

अवधेश पचौरी पुत्र सोमेश्वर पचौरी
ग्राम पिण्डरई तहसील शहपुरा
जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्व

1– म0प्र0शासन व्दारा अपर आयुक्त
जबलपुर संभाग, जबलपुर
2– अनुविभागीय अधिकारी, पाटन
जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश
3– नायव तहसीलदार शहपुरा
वृत्त पिपरिया कला तहसील शहपुरा
4– ऋषिकुमार पुत्र सुरेन्द्रकुमार पचौरी
5– बालमुकुन्द पुत्र सुरेन्द्रकुमार पचौरी
निवासीगण ग्राम पिण्डरई तहसील शहपुरा
जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री अजय मिश्रा, श्री सी.आर.रोमन, मनोज जेउत्रकर, श्री आर.के.बोहरे, श्री ब्रजेश शर्मा एंव श्री गोपालकृष्ण बोहरे)
(अनावेदक 4,5 के अभिभाषक श्री गौतम)

आ दे श

(आज दिनांक 8–2– 2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 497/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–7–2018 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 4 एंव 5 ने नायव तहसीलदार वृत्त पिपरिया कला तहसील शहपुरा को आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि मौजा पिपरिया कलॉ स्थित खसरा नंबर 134/1 एंव 169 कुल रकबा 6–20 है. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि संबोधित किया गया है) नरवद वाई पत्नि कढोरीप्रसाद के नाम थी जिसके दोनों बसीयतग्रहीता हैं बसीयत के

आधार पर नामान्तरण किया जावे। नायव तहसीलदार वृत्त पिपरिया कला ने प्रकरण क्रमांक 46 अ 6/15–16 पॅजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनॉक 30–9–17 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक क्रमांक 4 एंव 5 का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, पाटन के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी पाटन ने प्रकरण क्रमांक 10 अ–6/17–18 अपील में पारित आदेश दिनॉक 9–3–18 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 30–9–17 निरस्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी पाटन के आदेश दिनॉक 9–3–18 के विरूद्व अनावेदक क्रमांक 4 एंव 5 ने अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 947/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–7–18 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी पाटन का आदेश दिनॉक 9–3–18 निरस्त करते हुये नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 30–9–17 यथावत् रखा। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों व्दारा लेखी बहस प्रस्तुत की गई। लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने लेखी बहस में बताया है कि नरबद वाई पत्नि कढ़ोरी प्रसाद उसकी दादी है तथा वादोक्त भूमि की नरबद वाई ने आवेदक के पक्ष में दिनांक 1–12–2004 को बसीयत कर दी है । स्वर्गीय नरबद वाई उसके साथ जबलपुर में रहती थी जिनका दिनांक 18–4–16 को आवेदक के निवास पर स्वर्गवास हुआ है जिनके सभी कियाकर्म आवेदक ने ही किये हैं । अनावेदक क्रमांक 4 व 5 आवेदक के बड़े पिता के लड़के हैं जिन्होंने जमीन हड़पने की नियत से फर्जी व कूट रचित बसीयत 2–4–16 को तैयार की है। दिनांक 1–12–2004 को आवेदक के हित में हुई बसीयत प्रभावी है इसलिये भी कूट रचित बसीयत दिनांक 2–4–16 प्रभावी नहीं है। नरबदी वाई के अंगुष्ठ की जांच फिंगर एक्सपर्ट से होना चाहिये थी किन्तु अपर आयुक्त ने जानबूझकर गलत ढंग से आलोच्य आदेश पारित किया है जिसे निरस्त किया जावे।

अनावेदक क्रमांक 4 एंव 5 की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस में बताया गया है कि महिला नरबदवाई ने गवाहों के समक्ष उनके पक्ष में दिनांक 2–4–16 को बसीयत निष्पादित की है । नायव तहसीलदार ने विधिवत् इस्तहार जारी करके दावे आपत्ति बुलाये हैं बसीयत

साक्षीगण से प्रमाणित पाई गई है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बसीयत को केवल इसलिये संदिग्ध करार दिया है कि बसीयत लिखाने एंव महिला नरबदवाई के मरने की तिथि में केवल 10 दिन का अन्तर है जब साक्षीगण के कथनों से बसीयत प्रमाणित है, तब बसीयत को संदिग्ध नहीं माना जा सकता। अनुविभागीय अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया है कि वर्ष 2004 में जो बसीयत श्रीमती नरबदवाई ने आवेदक के पक्ष में लिखाई है वह मौजा पिण्डरई प0ह0नं0 38 की भूमि खसरा नंबर 88, 175 रकबा 2–71 हैक्टर एंव 1–33 हैक्टर की है जबकि अनावेदकगण के पक्ष में लिखाई गई बसीयत मौजा पिण्डरई प.ह.नं. 9/39 की भूमि सर्वे नंबर 134/1 रकबा 4–26 हैक्टर तथा सर्वे नंबर 169 रकबा 1–96 हैक्टर के सम्बन्ध में है। दोनों ही बसीयतें प्रथक प्रथक भूमियों की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी पाटन ने त्रृटिपूर्ण अर्थ निकालकर नायव तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया है और इसी भूल का सुधार अपर आयुक्त ने किया है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी है।

5/ दोनों पक्षों व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के तथ्यों एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक कमांक 4 एंव 5 के हित में महिला नरबदी वाई ने दिनांक 2–4–16 को बसीयत की है एंव इस बसीयत में मौजा पिण्डरई प.ह.नं. 9/39 की भूमि सर्वे नंबर 134/1 रकबा 4–26 हैक्टर तथा सर्वे नंबर 169 रकबा 1–96 हैक्टर की बसीयत करने का उल्लेख है, आवेदक के पक्ष में दिनांक 1–12–2004 को की गई बसीयत में मौजा पिण्डरई प0ह0नं0 38 की भूमि खसरा नंबर 88, 175 रकबा 2–71 हैक्टर एंव 1–33 हैक्टर का उल्लेख है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी पाटन ने आदेश दिनॉक 9–3–18 पारित करते समय इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है दोनों बसीयतों में भूमियॉ प्रथक प्रथक हैं जिसके कारण अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने आदेश दिनांक 24–7–2018 से अनुविभागीय अधिकारी के दोषपूर्ण आदेश को निरस्त किया है।

6/ प्रकरण की परिस्थितियों पर ध्यान देने एंव अनुविभागीय अधिकारी पाटन के आदेश दिनॉक 9–3–18 के अंत में लिये गये निर्णय कि '' पश्चात्वर्ती विल में मूलवर्ती विल से भिन्न उद्वेश्य तथा पूर्व विल का संदर्भ न होने के साथ ही अंगुष्ठ चिन्ह में भिन्नता होने से पश्चातवर्ती विल कूटरचित है '' अंत में वर्ष 2016 के बसीयत को संदेहास्पद करार देते हुये नायव तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी पाटन का निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता हैं क्योंकि कोई भी बसीयतकर्ता पूर्व में की गई बसीयत को असंतुष्ट

होने पर अथवा मन बदलने पर बसीयत बदलने की क्षमता रखता है।

1. भूरा विरूद्व सीताराम 1981 (1) म0प्र0वीकली नोटस 207 पर न्याय दृष्टांत है कि जब किसी विल का रजिस्ट्रीकरण उसे लिखाने वाले की मृत्यु के समय किया गया हो तब रजिस्ट्रीकरण प्रथम दृष्टि में बैध माना जावेगा, क्योंकि विलकर्ता पर किसी प्रकार का संदेह होता, तब उस विल का पंजीकरण नहीं होता।
2. तुलसीवाई विरूद्व ललितावाई 1981 रा0नि0 246 में अभिनिर्धारित है कि केवल विल इस कारण कि कोई व्यक्ति वृद्व है यह नहीं माना जा सकता कि विल वास्तविक नहीं है।
3. महेद्र नाथ बनाम तेजावाई 1986 रा.नि. 211 उच्च न्यायालय एंव 1984 रा.नि. 5 तथा 1984 रा.नि. 365 के दृष्टांत हैं कि फर्जी अथवा कूटरचित दस्तावेज की बैधता या अवैधता अथवा दस्तावेज को रद्व करने की अधिकारिता केवल व्यवहार न्यायालय कों है। अर्जित बैध स्वत्वों की घोषणा हेतु केवल सिविल दावा उपचार है।

तहसील न्यायालय के प्रकरण में पृष्ठ 12, 13 पर अनावेदक क्र–4 व 5 के हित में महिला नरबद वाई व्दारा की गई मूल बसीयत संलग्न है जिस पर बालमुकुन्द एंव प्यारेलाल चमार के साक्ष्य स्वरूप हस्ताक्षर हैं। बालमुकुन्द एंव प्यारेलाल चमार ने तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर बसीयत का पुष्टिकरण किया है साक्ष्य से बसीयत प्रमाणित हुई है। जहां तक वाद विचारित भूमि पर बसीयतग्रहीता अनावेदक 4 व 5 का तहसील न्यायालय व्दारा नामान्तरण किये जाने का प्रश्न है ? नामान्तरण का मूल उद्वेश्य अधिकार अभिलेख को अद्यतन रूप से शुद्व रखना है नामान्तरण करने से किसी पक्ष के स्वत्व का हनन नहीं होता है स्वत्व का विनिश्चय व्यवहार न्यायालय व्दारा किया जाता है, जिसके कारण अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा आदेश दिनांक 24–7–18 के पद 6 में विस्तृत विवेचना करके निकाले गये निष्कर्षो में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 947/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–7–18 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर